

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/697

दिनांक:- 08/10/2020

### आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जोधपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के कुल 31 आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-सबमिशन (बिना छूट के) 156 किशतों में किराया क्रय पद्धति के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-


क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड संख्या	उपलब्ध आवासों की संख्या
1	कुडी भगतासनी (खण्ड-चतुर्थ), जोधपुर	HIG	8-A-63(Corner), 8-A-64, 8-A-65, 8-A-66, 8-A-85, 8-A-86(Corner), 8-A-159(Corner), 8-A-118(Corner)	08
2	कुडी भगतासनी (खण्ड-चतुर्थ), जोधपुर	MIG-B	8-B-21(Corner), 8-B-22, 8-B-47, 8-B-48(Corner), 8-C-109, 8-C-110, 8-C-77(Corner), 8-C-136(Corner), 8-C-137(Corner), 8-C-150(Corner), 8-C-151(Corner), 8-C-164(Corner), 8-C-165(Corner), 8-C-178(Corner)	14
3	कुडी भगतासनी (खण्ड-चतुर्थ), जोधपुर	LIG	8-L-170, 8-M-120(Corner), 8-M-135(Corner), 8-M-146(Corner)	04
4	कुडी भगतासनी (खण्ड-चतुर्थ), जोधपुर	EWS	8-J-44, 8-J-74(Corner)	02
5.	कुडी भगतासनी (खण्ड-तृतीय), जोधपुर	MIG-A	5-G-1(Corner), 5-G-16(Corner)	02
		MIG-B	5-E-17(Corner)	01
<b>कुल</b>				<b>31</b>

उपरोक्त वर्णित कुल 31 भूखण्डों के संबंध में प्रदत्त उक्त स्वीकृति उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंषा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अध्याधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।


2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 5/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
 (कश्मी कौर)  
 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बीकानेर, राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
 सम्पदा प्रबन्धक (मु.)